



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 26 6 आषाढ़ 1940 (श0)
पटना, बुधवार, 27 जून 2018 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-17	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-विज्ञापन
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
		18-18
	पूरक	---
	पूरक-क	19-23

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

13 जून 2018

एस0ओ0 189, दिनांक 27 जून 2018--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3818/जे0, दिनांक 11.08.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री केशरी कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 11.08.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री केशरी कुमार	अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर।	11.08.2018	बी0एस0सी0 एल0एल0बी	मुजफ्फरपुर जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-107/2003/4516/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

13 जून 2018

एस0ओ0 190, एस0ओ0 189, दिनांक 27 जून 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-107/2003/4516/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

The 13th June 2018

S.O. 189 dated the 27th June 2018--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Keshari Kumar** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department

Notification No. **3818/J** dated **11.08.2008** to practice as notary again for the next five year from **11.08.2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Keshri Kumar	Advocate, Civil Court Muzaffarpur	11.08.2008	B.Sc L.L.B	Muzaffarpur District	

(File no. -A/Not-107/2003/4516/J)

By order of the Governor of Bihar,
Manoj Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer, Bihar
(Competent Authority).

12 सितम्बर 2017

एस0ओ0 191, दिनांक 27 जून 2018--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6920/जे0, दिनांक 15.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जय किशोर, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 15.09.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री जय किशोर	अधिवक्ता सिविल कोर्ट, पटना सिटी	15.09.2012	एल0एल0बी0	पटना जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-2/2012/5371/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

12 सितम्बर 2017

एस0ओ0 192, एस0ओ0 191, दिनांक 27 जून 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-2/2012/5371/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

The 12th September 2017

S.O. 191 dated the 27th June 2018---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Jay Kishore** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **6920/J** dated **15.09.2012** to practice as notary again for the next five year from **15.09.2017**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Jay Kishore	Advocate, Civil Court, Patna City	15.09.2012	L.L.B	Patna District	

(File no. -A/Not-2/2012/5371/J)

By order of the Governor of Bihar,
Manoj Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer, Bihar
(Competent Authority).

12 सितम्बर 2017

एस0ओ0 193, दिनांक 27 जून 2018--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7234/जे0, दिनांक 27.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री **दशरथ पासवान, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 27.09.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री दशरथ पासवान	अधिवक्ता नोटरी सिविल कोर्ट, जमुई, जिला-जमुई।	27.09.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	जमुई जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-30/2012-5373/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

12 सितम्बर 2017

एस0ओ0 194, एस0ओ0 193, दिनांक 27 जून 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-30/2012-5373/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

The 12th September 2017

S.O. 193 dated the 27th June 2018---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Dashrath Paswan** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7234/J** dated **27.09.2012** to practice as notary again for the next five year from **27.09.2017**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Dashrath Paswan	Advocate, Notary, Civil Court, Jamui	27.09.2012	B.A L.L.B	Jamui District	

(File no. -A/AJ-30/2012-5373/J)

By order of the Governor of Bihar,

Manoj Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer, Bihar
(Competent Authority).

12 सितम्बर 2017

एस0ओ0 195, दिनांक 27 जून 2018--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6920/जे0, दिनांक 15.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री बालेश्वर प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 15.09.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री बालेश्वर प्रसाद	अधिवक्ता सिविल कोर्ट, बाढ़	15.09.2012	बी०एस०सी० एल०एल०बी०	पटना जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-35/2002-5375/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

12 सितम्बर 2017

एस०ओ० 196, एस०ओ० 195, दिनांक 27 जून 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-35/2002-5375/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

The 12th September 2017

S.O. 195 dated the 27th June 2018---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Baleshwar Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **6920/J** dated **15.09.2012** to practice as notary again for the next five year from **15.09.2017**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Baleshwar Prasad	Advocate, Civil Court, Barh	15.09.2012	B.Sc L.L.B	Patna District	

(File no. -A/Not(s)-35/2002-5375/J)

By order of the Governor of Bihar,

Manoj Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer, Bihar
(Competent Authority).

12 सितम्बर 2017

एस0ओ0 197, दिनांक 27 जून 2018--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6920/जे0, दिनांक 15.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 15.09.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अशोक कुमार सिंह	अधिवक्ता बाढ़	15.09.2012	एम0एस0सी0 एल0एल0बी0	पटना जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-25/2008-5374/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

12 सितम्बर 2017

एस0ओ0 198, एस0ओ0 197, दिनांक 27 जून 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-25/2008-5374/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

The 12th September 2017

S.O. 197 dated the 27th June 2018--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ashok Kumar Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 6920/J dated 15.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 15.09.2017.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ashok Kumar Singh	Advocate, Barh	15.09.2012	M.Sc L.L.B	Patna District	

(File no. -A/Not(s)-25/2008-5374/J)

By order of the Governor of Bihar,
Manoj Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer, Bihar
(Competent Authority).

13 सितम्बर 2017

एस0ओ0 199, दिनांक 27 जून 2018--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7347/जे0, दिनांक 04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शिवजी शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 04.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्त्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री शिवजी शर्मा	अधिवक्ता नोटरी, सिविल कोर्ट, जहानाबाद।	04.10.2012	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	जहानाबाद	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-1/08-5458/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

13 सितम्बर 2017

एस0ओ0 200, एस0ओ0 199, दिनांक 27 जून 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-1/08-5458/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

The 13th September 2017

S.O. 199 dated the 27th June 2018---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Shivjee Sharma** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7347/J** dated **04.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **04.10.2017**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Shivjee Sharma	Advocate, Notary, Civil Court, Jehanabad	04.10.2012	B.Sc L.L.B	Jehanabad District	

(File no. -A/Not(s)-1/08-5458/J)

By order of the Governor of Bihar,
Manoj Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer, Bihar
(Competent Authority).

12 सितम्बर 2017

एस0ओ0 201, दिनांक 27 जून 2018--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7425/जे0, दिनांक 05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेश्वर नाथ पाण्डेय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 05.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सुरेश्वर नाथ पाण्डेय	अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, छपरा, जिला-सारण।	05.10.2012	एम0ए0 एल0एल0बी0	सारण जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-5/2001-5372/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

12 सितम्बर 2017

एस0ओ0 202, एस0ओ0 201, दिनांक 27 जून 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-5/2001-5372/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी।

The 12th September 2017

S.O. 201 dated the 27th June 2018---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Sureshwar Nath Pandey** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7425/J** dated **05.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **05.10.2017**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Sureshwar Nath Pandey	Advocate, Notary, Civil Court, Chapra	05.10.2012	M.A L.L.B		

(File no. -A/Not-5/2001-5372/J)

By order of the Governor of Bihar,
Manoj Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer, Bihar
(Competent Authority).

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं

19 जून 2018

सं0 01/स्था0(ले0से0)-20/2015-4578/वि0---बिहार लेखा सेवा के निम्नांकित दो (2) वरीय लेखा पदाधिकारी कोटि के पदाधिकारियों को पे बैंड रु० 9300-34,800 + ग्रेड पे-6600/-(अपुनरीक्षित) लेवल-11(पुनरीक्षित) से उपायुक्त, लेखा कोटि/समकक्ष स्तर के पे बैंड रु 15,600-39,100 + ग्रेड पे-7600/-(अपुनरीक्षित) लेवल-12(पुनरीक्षित) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	कोटि क्रमांक
1	श्री शैलेश कुमार	16
2	श्री राजेन्द्र कुमार चंद्रवंशी	33

2. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या- 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।

3. प्रोन्नति प्राप्त उक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, लेखा कोटि/समकक्ष पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590 दिनांक 24.05.2017 के द्वारा उक्त पदाधिकारियों को विकल्प देना होगा कि उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रोन्नति की तिथि से करायेगे या वेतन वृद्धि की तिथि से। यह विकल्प आदेश/अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर लिखित रूप से कार्यालय प्रधान/महालेखाकर/वित्त वैयक्तिक दावा

निर्धारण कोषांग को देना है। विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण प्रोन्नति की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अंतिम होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जयन्त कुमार सिंह, अपर सचिव।

19 जून 2018

सं० 01/स्था०(ले०से०)-20/2015-4579/वि०--बिहार लेखा सेवा के निम्नांकित दो (2) लेखा पदाधिकारी कोटि के पदाधिकारियों को पे बैंड रु० 9300-34,800 + ग्रेड पे-4800/- (अपुनरीक्षित) लेवल-9 (पुनरीक्षित) से वरीय लेखा पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के पे बैंड रु 15,600-39,100 + ग्रेड पे-6600/- (अपुनरीक्षित) लेवल-11 (पुनरीक्षित) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	कोटि क्रमांक
1	श्री संतोष कुमार-II	64
2	श्री विजय कुमार रजक	75

2. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या- 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।

3. प्रोन्नति प्राप्त उक्त पदाधिकारियों को वरीय लेखा पदाधिकारी/समकक्ष पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590 दिनांक 24.05.2017 के द्वारा उक्त पदाधिकारियों को विकल्प देना होगा कि उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रोन्नति की तिथि से करायेंगे या वेतन वृद्धि की तिथि से। यह विकल्प आदेश/अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर लिखित रूप से कार्यालय प्रधान/महालेखाकर/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को देना है। विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण प्रोन्नति की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अंतिम होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जयन्त कुमार सिंह, अपर सचिव।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

24 मई 2018

सं० 1स्था०-34/18-4155/वि०स०।--श्री नवीन, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव जो वेतन स्तर-12 (78800-209200) रूपये में प्रतिमाह 91400/- रूपये वेतन पाते हैं, को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3ए-3-भत्ता-01/2017-8043/वि०, दिनांक 11.10.2017 के कडिका 3(ज) छुट्टी यात्रा रियायत (L.T.C.) के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2013-2017 में परिवार के सदस्यों के साथ दिनांक 31.05.2018 को पटना से बंगलोर जाने एवं बंगलोर से पटना आने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

22 सितम्बर 2017

सं० 1स्था०-62/2017-7705/वि०स०।--वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-3ए-2वे०पु०-09/2016-3590वि०, दिनांक 24.05.2017 एवं सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-3630, दिनांक 29.05.2017 के अनुसरण में सभा सचिवालय के प्रशाखा

पदाधिकारीगण सम्प्रति अवर सचिव (सहायक संवर्ग) का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन स्तर में वेतन औपबधिक रूप से संलग्न विवरणी के अनुसार निर्धारित किया जाता है ।

आदेश से,

दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

क्रम सं०	नाम एवं पदनाम	01.01.2016 को मौजूदा वेतन बैंड	01.01.2016 को मौजूदा ग्रेड वेतन	01.01.2016 को मौजूदा वेतन बैंड में वेतन	01.01.2016 को प्राप्त मूल वेतन (स्तम्भ 4+5)	01.01.2016 को प्राप्त मूल वेतन × 2.57 (फिटमेंट फैक्टर)	01.01.2016 को प्राप्त ग्रेड वेतन का पे मैट्रिक्स में अनुमान्य वेतन स्तर एवं पुनरीक्षित वेतन	वेतन वृद्धि की तिथि एवं उस तिथि को वृद्धित वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री दीनानाथ प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव	P.B.-3 15600-39100/-	6600/-	25820/-	32420/-	83319/-	वेतन स्तर-11 85800/-	
2.	श्री विमलेन्दु भूषण कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव	P.B.-3 15600-39100/-	6600/-	25310/-	31910/-	82009/-	वेतन स्तर-11 83300/-	
3.	श्रीमती अनुपमा प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव	P.B.-3 15600-39100/-	6600/-	24810/-	31410/-	80724/-	वेतन स्तर-11 80900/-	
4.	श्रीमती पूनम सिन्हा, प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव	P.B.-3 15600-39100/-	6600/-	24810/-	31410/-	80724/-	वेतन स्तर-11 80900/-	

01.04.2017 को पुनरीक्षित वेतन	दिनांक 01.01.2016 के बाद प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी. के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में वेतन निर्धारण							अभियुक्ति
	प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी. की तिथि एवं उस तिथि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर	पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में मूल वेतन	प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी. के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर	स्तम्भ 12 में उल्लिखित मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि के पश्चात् वेतन	स्तम्भ 13 में उल्लिखित वेतन स्तर में स्तम्भ 14 में उल्लिखित वेतन के ठीक आगे का प्रक्रम	वेतन वृद्धि की तिथि एवं उस तिथि को वृद्धित वेतन	01.04.2017 को पुनरीक्षित वेतन	
10	11	12	13	14	15	16	17	18

17 अक्टूबर 2017

सं० 1स्था०-68/2017-8656/वि०स०।-वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-3ए-2वे०पु०-09/2016-3590वि०, दिनांक 24.05.2017 एवं सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-3630, दिनांक 29.05.2017 के अनुसरण में सभा सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव श्रीमती सुजाता मिश्रा (पुस्तकालय संवर्ग) का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन स्तर में वेतन औपबधिक रूप से संलग्न विवरणी के अनुसार निर्धारित किया जाता है ।

आदेश से,

विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

क्रम सं०	नाम एवं पदनाम	01.01.2016 को मौजूदा वेतन बैंड	01.01.2016 को मौजूदा ग्रेड वेतन	01.01.2016 को मौजूदा वेतन बैंड में वेतन	01.01.2016 को प्राप्त मूल वेतन (स्तम्भ 4+5)	01.01.2016 को प्राप्त मूल वेतन × 2.57 (फिटमेंट फैक्टर)	01.01.2016 को प्राप्त ग्रेड वेतन का पे मैट्रिक्स में अनुमान्य वेतन स्तर एवं पुनरीक्षित वेतन	वेतन वृद्धि की तिथि को वृद्धित वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्रीमती सुजाता मिश्रा, प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव	P.B.-3 15600- 39100/-	6600/-	24290/-	30890/-	79387/-	वेतन स्तर-11 80900/-	

01.04.2017 को पुनरीक्षित वेतन	दिनांक 01.01.2016 के बाद प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी. के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में वेतन							अभियुक्ति
	प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी. की तिथि एवं उस तिथि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर	पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में मूल वेतन	प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी. के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर	स्तम्भ 12 में उल्लिखित मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि के पश्चात् वेतन	स्तम्भ 13 में उल्लिखित वेतन स्तर में स्तम्भ 14 में उल्लिखित वेतन के ठीक आगे का प्रक्रम	वेतन वृद्धि की तिथि एवं उस तिथि को वृद्धित वेतन	01.04.2017 को पुनरीक्षित वेतन	
10	11	12	13	14	15	16	17	18

27 जुलाई 2017

सं० 1 स्था०-89/17-5793/वि०स०।--सभा सचिवालय में प्रतिवेदक के स्थायी पद के विरुद्ध कार्यरत श्री शंभु कुमार को प्रतिवेदक के पद पर दिनांक 28.10.2002 से मौलिक रूप से नियुक्त एवं सम्पुष्ट किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

5 अक्टूबर 2017

सं० 2 स्था०-79/15-7937/वि०स०।--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-वै०दा०नि०को०-22/वि०स०-02/2016-735(22), दिनांक 26.07.2017 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत श्री दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव, बिहार विधान सभा को दिनांक 01.03.2017 से 08.03.2017 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

13 दिसम्बर 2017

सं० 2 स्था०-58/15-10383/वि०स०।--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-वै०दा०नि०को०-22/वि०स०-05/15-968(22), दिनांक 22.11.17 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत श्री अमलेन्द्र प्रसाद महतो, अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को दिनांक 04.09.2017 से 08.09.2017 तक उपार्जित अवकाश एवं उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-09.09.17 तथा 10.09.17 को सार्वजनिक अवकाश के उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । इसके पश्चात इनके उपार्जित अवकाश कोष में 295 दिनों का अवकाश संग्रहित है ।

आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

3 नवम्बर 2017

सं० 2स्था०-58/2015-9042/वि०स०--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- वै०दा०नि०को०-24/वि०स० 02/11-611(22), दिनांक 02.06.17 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248(क) के तहत श्री अमलेन्द्र प्रसाद महतो, अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को दिनांक 11.01.2016 से 24.01.2016 तक उपार्जित अवकाश के उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

3 नवम्बर 2017

सं० 2स्था०-59/2015--9031/वि०स०--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- वै०दा०नि०को०-22/वि०स० 03/2016-889(22), पटना दिनांक 06.10.17 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत श्री विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव, बिहार विधान सभा को दिनांक 19.04.2017 से 01.05.2017 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

24 जनवरी 2018

सं० 2स्था०-80/15-765/वि०स०--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-22/वि०स०-04/15-920(22), दिनांक 16.10.17 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के अनुसरण में श्री शिवपूजन प्रसाद, अवर सचिव, बिहार विधान सभा को दिनांक 15.06.2017 से 22.06.2017 तक उपार्जित अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है । इसके पश्चात् इनके उपार्जित कोष में 292 दिनों का अवकाश संग्रहित है ।

आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

19 दिसम्बर 2017

सं० 2स्था०-238/17-10643/वि०स०।--श्री राजेन्द्र झा, आप्त सचिव, बिहार विधान सभा को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार के पत्रांक-597(22), दिनांक 10.11.17 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत दिनांक 11.09.17 से 15.09.17 तक उपार्जित छुट्टी स्वीकृत किया जाता है । उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 16.09.17 से 17.09.17 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । इनके उपार्जित छुट्टी कोष में शेष 285 दिनों का छुट्टी संग्रहित है ।

आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

19 दिसम्बर 2017

सं० 2स्था०-238/17-10651/वि०स०।--श्री राजेन्द्र झा, आप्त सचिव, बिहार विधान सभा को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार के पत्रांक-921(21), दिनांक 16.10.17 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के तहत खंडशः दिनांक 11.03.16 से 15.03.16, दिनांक 17.05.16 से 18.05.16, दिनांक 29.06.16 से 30.06.16 एवं दिनांक 07.09.16 से 08.09.16 तक रूपांतरित छुट्टी एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार के पत्रांक-606(22), दिनांक 02.06.17 के आलोक में बिहार सेवा

संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत दिनांक 07.07.16 से 20.07.16 तक उपार्जित छुट्टी स्वीकृत की जाती है। इनके उपार्जित छुट्टी कोष में शेष 286 दिनों का छुट्टी संग्रहित है। साथ ही अर्द्धवैतनिक छुट्टी कोष में शेष 678 दिनों की छुट्टी संग्रहित है।

आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना

अधिसूचना

21 जून 2018

सं० नि०वि०/विविध-गृह-239/2017-2346—माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस नं०-25634/2017 प्रमोद कुमार सैनी बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 30.08.2017 को आदेश पारित कर आलमगंज थाना कांड संख्या-230/2016 का अग्रतर अनुसंधान का प्रभार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। अतः अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए तत्कालिक प्रभाव से आलमगंज थाना कांड संख्या-230/2016 के अधिग्रहण एवं अनुवर्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचनाएं

15 जून 2018

सं० 15/एम 1-38/2014-1066—बिहार राज्य के रोहतास जिलान्तर्गत निजी क्षेत्र में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार, सासाराम की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट, जमुहार, सासाराम से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन समीक्षोपरांत एवं राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में निहित शर्तों के अनुपालन की सम्यक् जांचोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 के तहत देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट, जमुहार, सासाराम को बिहार राज्य के रोहतास जिलान्तर्गत निजी क्षेत्र में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार, सासाराम के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

यह विश्वविद्यालय गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार, सासाराम के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, अपर सचिव।

15 जून 2018

सं० 15/एम 1-44/2015-1065—बिहार राज्य के कटिहार में निजी क्षेत्र में अल-करीम विश्वविद्यालय, कटिहार की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय अल-करीम एजुकेशनल ट्रस्ट से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन समीक्षोपरांत एवं राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में निहित शर्तों के अनुपालन की सम्यक् जांचोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 के तहत अल-करीम एजुकेशनल ट्रस्ट को बिहार राज्य के कटिहार में निजी क्षेत्र में अल-करीम विश्वविद्यालय, कटिहार के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

यह विश्वविद्यालय अल-करीम विश्वविद्यालय, कटिहार के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, अपर सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
21 जून 2018

सं० 7/सी०सी०ए०-1024/2001(खंड-II)गृ०आ०-5421—बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) की अध्याय 2 की धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या-2132, दिनांक 14.03.2018 के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात् दिनांक 01.07.2018 से 30.09.2018 तक (एक जुलाई दो हजार अठारह से तीस सितम्बर दो हजार अठारह तक) प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं
21 मार्च 2018

सं० 1/सह.राज.स्था.(स्थाना.)-56/2013-994—श्री विकास रंजन प्रसाद (वरीयता क्रमांक-29 (ख)/17, गृह जिला-सीवान), सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (अवकाश/प्रशिक्षण रक्षित), बिहार, पटना को श्रीमती लवली, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना अंचल, पटना/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना सिटी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मसौढ़ी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बाढ़/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, दानापुर) के अवकाश अवधि तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना अंचल, पटना, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना सिटी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मसौढ़ी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बाढ़ एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, दानापुर का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप-सचिव।

21 मार्च 2018

सं० 1/रा.स्था.(7)सेवा संपुष्टि-08/2010 सह.-1312—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्टि किया जाता है:-

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	वरियता कोटि क्रमांक	प्रथम नियुक्ति की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री सुभाष कुमार	41(ख)/17	28.06.2007	25.01.2010
2.	स्व. इंदीवर पाठक	42(ख)/17	21.06.2007	10.07.2010
3.	श्रीमती शशिबाला रावल	46(ख)/17	21.06.2007	01.07.2011
4.	श्री अरविन्द कुमार पासवान	50(ख)/17	30.06.2007	15.09.2012

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप-सचिव।

28 मई 2018

सं० 1/सह.राज.स्था.(अति.प्रभार)-06/2015-1625—श्री ललन कुमार शर्मा, (वरियता क्रमांक-24(ख)/17, गृह जिला-मुंगेर) प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीतामढ़ी (अतिरिक्त प्रभार-जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी/जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, शिवहर) को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पुपरी का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप-सचिव।

1 जून 2018

सं० 1/रा.स्था.(7)सेवा संपुष्टि-08/2010 सह.-1692—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्टि किया जाता है:-

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	वरियता कोटि क्रमांक	प्रथम नियुक्ति की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री नयन प्रकाश	51(ख)/17	27.06.2007	17.01.2018

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 855— I, RUBY D/O Shivendra Kumar Sharma, W/O Sanjeev Kumar, R/O 11, West Anandpuri, West Boring Canal Road, Patna-1, Vide Affi. no. 18511/6.10.17 will be known as Ruby Kumar for all future purposes.

RUBY.

सं० 868—मैं साजदा खातुन, पति मो० इजहार सा०, थाना—बिहपुर, जिला—भागलपुर घोषणा करती हूँ कि मैं साजदा खातुन एवं शारदा खातुन दोनों नामों से जानी पहचानी जाती हूँ। शपथ पत्र सं० 7400/18-01-2018 ।

साजदा खातुन ।

सं० 873—मैं गौरव जी, पुत्र राज कुमार पंडित निवास चैलीटाल, महाराजगंज, खिलौना गली, पो०—गुलजारबाग, थाना—आलमगंज पटना सिटी, पटना 800007 (बिहार) शपथ पत्र सं० 281 तारीख 2.6.18 द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि अब मैं गौरव राज पंडित के नाम से जाना जाऊंगा ।

गौरव जी ।

No. 873— I Gaurav Jee S/o Raj Kumar Pandit, Resident of Chailital, Maharajganj, Khilona Gali, Po- Guljarbhangh, PS Alamganj, Patna City, Patna- 800007(Bihar) vide affidavit No. 281, Date - 02.06.2018 I will be known as Gaurav Raj Pandit.

Gaurav Jee.

सं० 874—मैं शुभम जी, पुत्र राज कुमार पंडित निवास—चैलीटाल, महाराजगंज, खिलौना गली, पोस्ट—गुलजारबाग, थाना—आलमगंज पटना सिटी, पटना 800007 (बिहार) शपथ पत्र सं० 628 तारीख 31.5.18 द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि अब मैं शुभम राज पंडित के नाम से जाना जाऊंगा ।

शुभम जी ।

No. 874— I Shubham Jee son of Shree Raj Kumar Pandit, resident Chailital, Khilona gali, P.O Gulzarbhangh, P.S. Alamganj, Patna City, Dist- Patna- 800007, (BIHAR) vide affidavit No. 628, Date - 31.05.2018 I declare now I will be knowns as Shubham Raj Pandit for all future purpose.

Shubham Jee.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 15/डी01-13/2011-1086
शिक्षा विभाग

संकल्प

20 जून 2018

विषय:—राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन के पुनरीक्षण से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 1674 दिनांक 16.08.2012 में पेंशन/पारिवारिक पेंशन की प्रभावी तिथि एवं पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवा अवधि (Qualifying Service period) में संशोधन के संबंध में।

राज्य सरकार के सेवी वर्ग के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के लिए निर्गत संकल्प संख्या 819 दिनांक 23.09.09 व पत्रांक 820 दिनांक 23.09.09 के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों/ कर्मचारियों (विश्वविद्यालय सेवा वर्ग के कर्मियों) के लिए पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण संकल्प संख्या 1674 दिनांक 16.08.12 द्वारा किया गया है।

2. वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 819 दिनांक 23.09.09 में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1206 दिनांक 22.08.2013 एवं संकल्प संख्या 50 दिनांक 15.01.2016 द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन की प्रभावी तिथि एवं पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवा अवधि (Qualifying Service period) में संशोधन किया गया।

वित्त विभाग द्वारा राज्य कर्मियों के लिए निर्गत संकल्प में किये गये संशोधनों को विश्वविद्यालय कर्मियों के लिये लागू करने हेतु सम्यक समीक्षोपरान्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1206 दिनांक 22.08.2013 के अनुरूप विभागीय संकल्प संख्या 1674 दिनांक 16.08.2012 की कंडिका 5 (5.2) (vi) (ख) को एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या 50 दिनांक 15.01.2016 के अनुरूप कंडिका 5 (5.2) (ए), 5 (5.2) (ए) (ii) एवं 5 (5.2) (ए) (iv) को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:—

विभागीय संकल्प संख्या 1674 दिनांक 16.08.12 की संशोधन योग्य कंडिकाएँ	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
कंडिका 5 (5.2) (vi) (ख)	वैसे कर्मी के मामले में, जो सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन की गणना पूर्व के प्रावधानों के अनुसार होगी तथा वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन की राशि मृत्यु की तिथि से 10 वर्षों तक अनुमान्य होगी एवं इसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। पेंशनधारी की मृत्यु के उपरांत देय वर्द्धित पेंशन के भुगतान की अवधि वर्द्धित पेंशन के भुगतान की अवधि	वैसे कर्मी के मामले में, जो सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन की गणना पूर्व के प्रावधानों के अनुसार होगी तथा वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन की राशि मृत्यु की तिथि से 10 वर्षों तक अनुमान्य होगी एवं इसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। पेंशनधारी की मृत्यु के उपरांत देय वर्द्धित पेंशन के भुगतान की अवधि वर्द्धित पेंशन के भुगतान की अवधि

	पूर्ववत् रहेगी	
5 (5.2) (ए)	दिनांक 23.09.2009 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर का पेंशन निर्धारण।	दिनांक 01.04.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर का पेंशन निर्धारण।
5 (5.2) (ए) (ii)	पूर्ण पेंशन की स्वीकृति हेतु 33 वर्षों की अर्हक सेवा की शर्त समाप्त कर दी गई है। जिस कर्मी ने सेवानिवृत्ति की तिथि को 20 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वीकृत किया जाएगा।	जो सरकारी सेवक 01.04.2007 को या उसके बाद 20 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ है, उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वीकृत किया जाएगा, किन्तु 31.03.2007 तक जो सरकारी सेवक 33 वर्षों से कम अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ है, उसका पेंशन वास्तविक अर्हक सेवा के अनुपात में कम करके निर्धारित किया जाएगा।
5 (5.2) (ए) (iv)	कंडिका 5.2 में वर्णित पेंशन गणना का पुनरीक्षण प्रावधान दिनांक 23.09.09 से प्रभावी होगा और उक्त तिथि को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी पर लागू होगा।	कंडिका 5.2 में वर्णित पेंशन गणना का पुनरीक्षण प्रावधान दिनांक 01.04.2007 से प्रभावी होगा और उक्त तिथि को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी पर लागू होगा।

3. विभागीय संकल्प संख्या 1674 दिनांक 16.08.2012 के प्रावधानों को इस हद तक संशोधित समझा जाए। उक्त संकल्प के शेष तथ्य यथावत् रहेंगे।

4. यह संकल्प वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

आदेश से,
मनोज कुमार, अपर सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं 27 मार्च 2018

सं0 08/नि.को.(रा.)विभागीय-720/2017-1048—श्री शशिभूषण कुमार, प्रबंध निदेशक, दी वैशाली डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., हाजीपुर, वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक 23.11.2017 को परिवादी श्री अमित अभिषेक से रु. 80,000/- (अस्सी हजार रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं उनके विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-104/2017, दिनांक 24.11.2017, धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13(1) (डी.)प्र.नि. अधिनियम 1988 दर्ज होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-4078, दिनांक 28.12.2017 द्वारा दिनांक 23.11.2017 के प्रभाव से निलंबित किया गया है।

2. कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 02.02.2018 के पूर्वाह्न में श्री कुमार द्वारा अपना योगदान समर्पित किया गया है। सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के अन्तर्गत इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है। उक्त योगदान की तिथि से श्री कुमार निलंबन से मुक्त समझे जायेंगे।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, उप-सचिव (निगरानी)।

27 मार्च 2018

सं0 08/नि.को.(रा.)विभागीय-720/2017-1049—श्री शशिभूषण कुमार, प्रबंध निदेशक, दी वैशाली डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., हाजीपुर, वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक 23.11.2017 को परिवादी श्री अमित अभिषेक से रु. 80,000/- (अस्सी हजार रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं उनके विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-104/2017, दिनांक 24.11.2017, धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी.)प्र.नि. अधिनियम 1988 दर्ज होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-4078, दिनांक 28.12.2017 द्वारा दिनांक 23.11.2017 के प्रभाव से निलंबित किया गया है।

2. कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 02.02.2018 के पूर्वाह्न में श्री कुमार द्वारा अपना योगदान समर्पित किया गया है। सरकार के निर्णय के अनुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के अन्तर्गत इनका योगदान विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1048 दिनांक 27.03.18 द्वारा स्वीकृत किया गया।

परन्तु चूँकि श्री कुमार के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-104/2017, दिनांक 24.11.2017, धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी), प्र.नि. अधिनियम 1988 दर्ज है तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जानी है। अतः इनका निलंबन जनहित में आवश्यक है ताकि जाँच कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) तथा 9(1)(ग) के अन्तर्गत उन्हें अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, उप-सचिव (निगरानी)।

25 अप्रैल 2018

सं० 08/नि.को.(रा.)विभागीय-710/14-1318—श्री भुवनेश्वर प्रसाद मंडल, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., पूर्णियाँ सम्प्रति सेवा निवृत्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2392 दिनांक 16.07.2015 द्वारा कतिपय आरोपों यथा बैंक पदस्थापन काल में बैंक के गुलाबबाग शाखा में चोरी की घटना की प्राथमिकी एक वर्ष के बाद दर्ज कराने, अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करने, नीलाम पत्र पदाधिकारी के रूप में कर्तव्य में लापरवाही बरतने, विभागीय निदेशों का उल्लंघन करने, गुलाबबाग शाखा के दोषी कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने आदि के लिए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

श्री मंडल के दिनांक 30.11.16 को वार्धक्य सेवा निवृत्त हो जाने के कारण विभागीय आदेश ज्ञापांक-1693 दिनांक 25.05.2017 द्वारा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी.) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1237 दिनांक-05.10.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को प्राप्त हुआ जिसके समीक्षोपरान्त श्री मंडल के विरुद्ध आरोप संख्या-01 आंशिक प्रमाणित, आरोप संख्या-02, 03, 05, 06, 07 एवं 08 प्रमाणित एवं आरोप संख्या-04, 09 एवं 10 अप्रमाणित पाए गए हैं। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम के आधार पर श्री मंडल से विभागीय पत्रांक-1705 दिनांक 25.05.17 से द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की मांग की गई। श्री मंडल से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः श्री मंडल के विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/अधिगम एवं श्री मंडल के द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर के समीक्षोपरान्त राज्य सरकार के सम्यक विचारोपरान्त श्री भुवनेश्वर प्रसाद मंडल, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., पूर्णियाँ सम्प्रति सेवा निवृत्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी.) के तहत उनके पेंशन से 05% (पाँच प्रतिशत) पेंशन एक वर्ष के लिए कटौती का दण्ड संसूचित किया जाता है।

3. उक्त दण्ड प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश चौधरी, अपर सचिव।

10 मई 2018

सं० 8/नि.को.(रा.)विभागीय-718/2013-1445—श्री नागेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, मोतिहारी-सह-प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मोतिहारी सम्प्रति-उप निबंधक (न्यायिक), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के विरुद्ध राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत खरीफ 2009 में गैर ऋणी कृषकों के फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में विभागीय निदेशों की अवहेलना, फसल बीमा मार्गदर्शिका की अवहेलना एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही/चूक बरतने के आरोप में आरोप-पत्र (प्रपत्र "क") गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2116, दिनांक 28.05.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।

संचालन पदाधिकारी, अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार ने अपने अधिगम में आरोपों को प्रमाणित नहीं माना है। अपर विभागीय जाँच आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन से विभाग द्वारा असहमत होते हुए विभागीय पत्र संख्या 31 दिनांक 03.01.18 द्वारा आरोपित पदाधिकारी, श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के अधिगम एवं उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि बीमा कम्पनी द्वारा सभी नोडल बैंकों को फसल बीमा संबंधी विभागीय अधिसूचना दिनांक 08.06.2009 को ही उपलब्ध करा दिया गया था। अतः श्री प्रसाद का यह कहना कि उन्हें फसल बीमा संबंधी विभागीय अधिसूचना की जानकारी नहीं थी, स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी श्री प्रसाद के द्वारा चूक हुई है। अतः भविष्य के लिए उन्हें सचेत किया जाता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, उप-सचिव (निगरानी)।

18 मई 2018

सं० 8/नि.को.(रा.)विभागीय-713/2015-1522—विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3159, दिनांक 02.09.2016 के द्वारा श्री राम प्रताप सिंह, तत्कालीन उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना एवं तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी मुंगेर-जमुई सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंगेर, जो सेवा निवृत्ति के पूर्व संयुक्त निबंधक (मु.), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित थे, के विरुद्ध उनके बैंक के पदस्थापन काल में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, न्यू मार्केट, पटना शाखा में डेली डिपोजिट स्कीम में गबन, अनुशासनहीनता एवं विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं करने तथा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, मुंगेर के पदस्थापन काल में अनियमितता बरतने, आदेशोल्लंघन, बैटक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने तथा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी।

विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री मुकुल कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक (पणन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

2- विभागीय जाँच आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक 146, दिनांक 20.04.2017 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को श्री के. के. पाठक, भा.प्र.से., अपर सदस्य-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को हस्तान्तरित किया गया था।

3- संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री राम प्रताप सिंह, तत्कालीन उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना एवं तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी मुंगेर-जमुई सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, मुंगेर के विरुद्ध इस विभागीय कार्यवाही में सन्निहित सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के द्वारा न्यू मार्केट शाखा में हुए गबन में बैंक के उप महाप्रबंधक के पद पर पदस्थापित आरोपित पदाधिकारी की भूमिका के कोई साक्ष्य नहीं पाये जाने एवं अन्य आरोपों को भी प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण उन्हें आरोप मुक्त करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।

4- बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार डेली डिपोजिट स्कीम में गबनित राशि बैंक की नहीं थी यह जमाकर्ता एवं अभिकर्ता के बीच का मामला था, जिसमें जमाकर्ताओं के द्वारा संबंधित आरोपी के विरुद्ध स्वयं ही प्राथमिकी दायर करायी गयी थी एवं इस कांड में संलिप्त पाये गये बैंक के दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

5- मामले के पूर्ण समीक्षोपरान्त एवं सम्यक विचारोपरान्त श्री राम प्रताप सिंह, तत्कालीन उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना एवं तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी मुंगेर-जमुई सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंगेर, जो सेवा निवृत्ति के पूर्व संयुक्त निबंधक (मु.), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित थे, को उनके बैंक के पदस्थापन काल में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, न्यू मार्केट, पटना शाखा में डेली डिपोजिट स्कीम में गबन, अनुशासनहीनता एवं विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं करने तथा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, मुंगेर के पदस्थापन काल में अनियमितता बरतने, आदेशोल्लंघन, बैटक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने तथा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोपों से आरोप मुक्त किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, उप-सचिव (निगरानी)।

31 मई 2018

सं० 08/नि.को.(रा.)विभागीय-706/2014-1670—विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2148 दिनांक 30.05.2014 एवं संकल्प संख्या 2941 दिनांक 16.08.2016 के द्वारा श्री विनोद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मोतिहारी सम्प्रति सहायक निबंधक (अ.र.) (अतिरिक्त प्रभार उप निबंधक (मु.) सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के विरुद्ध उक्त पदस्थापन काल में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम वर्ष, 2009 में गैर ऋणी कृषकों के फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में विभागीय निदेशों एवं फसल बीमा मार्गदर्शिका की अवहेलना एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही/चूक बरते जाने के आरोप पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।

विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

2.— संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री विनोद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मोतिहारी सम्प्रति सहायक निबंधक (अ.र.), (अतिरिक्त प्रभार उप निबंधक (मु.), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के विरुद्ध दोनों आरोप यथा बीमा नियमों का उल्लंघन करते हुए अयोग्य कृषकों का चयन एवं विभागीय अधिसूचना एवं संकल्प में निहित प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

3.— मामले की पूर्ण समीक्षोपरान्त एवं सम्यक विचारोपरान्त श्री विनोद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मोतिहारी सम्प्रति सहायक निबंधक (अ.र.), (अतिरिक्त प्रभार उप निबंधक (मु.), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के विरुद्ध बीमा नियमों का उल्लंघन करते हुए अयोग्य कृषकों का चयन एवं विभागीय अधिसूचना एवं संकल्प में निहित प्रावधानों के उल्लंघन का प्रमाणित आरोप के लिए उन्हें एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करने एवं भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी का दण्ड संसूचित किया जाता है एवं इसके साथ विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, उप-सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>